संख्या–741 / 43–2–2012

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2012**

विषय : लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के बिन्दु संख्या–11, 12 व 13 में उल्लिखित विवरणों के अन्तर्गत सूचनायें अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न 16 श्रेणियों की सूचनाओं को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना प्रत्येक लोक प्राधिकरण की विधिक बाध्यता है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के बिन्दु संख्या–11 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण व उसके अन्तर्गत अभिकरणों के वार्षिक आय–व्यय का उल्लेख किया जाना है जिसमें प्राधिकरण में चल रही समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय एवं किये गये संवितरण का उल्लेख सम्मिलित है। बिन्दु संख्या–12 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों में सहायिकी से चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण दिया जाना है जिसमें आवंटित राशि, लाभार्थियों के ब्यौरे, लाभार्थी की पात्रता, आवेदन का प्रारूप, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, अनुदान सहायता के विवरण की प्रक्रिया आदि का विवरण दिया जाना है। बिन्दु संख्या–13 के अन्तर्गत ऐसे प्राप्तकर्ताओं का विवरण दिया जाना है जिनको लोक प्राधिकरणों द्वारा रियायतें, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये गये हों। इन विवरणों में प्राप्तकर्ताओं के नाम व पता, कार्यक्रम का नाम, उद्देश्य, पात्रता का आधार, प्राप्त करने की प्रक्रिया, निर्धारित समय सीमा, आवेदन का प्रारूप, आवेदन शुल्क, वैधता की तारीख आदि का भी उल्लेख होना चाहिए।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइटों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं में बिन्दु संख्या–11, 12 व 13 में उल्लिखित सूचनायें उपरोक्तानुसार पूर्ण रूप से अपलोड की गयी है।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–109 / 43–2–2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2013**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत भारत सरकर द्वारा जारी मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनिमय, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अंतर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं को प्रकट किया जाना विधिक बाध्यता है तथा धारा–4(2) तथा धारा–4(3) में इन सूचनाओं के प्रकट किये जाने की विधि का उल्लेख है। धारा–4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य में अधिक से अधिक सूचनाओं को रखना है तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थनापत्रों को कम करना है।

2– भारत सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता तथा मात्रा वांछित स्तर तक नहीं पाई गई तथा यह अनुभव किया गया कि धारा–4 के कमजोर कार्यान्वयन का कारण कुछ प्राविधानों का विस्तृत रूप से वर्णित न होना है तथा कुछ प्राविधानों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका की आवश्यकता है।

3– उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा मई, 2011 में एक टास्क फोर्स गठित की गई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई जो कि www.rtiffoundationofindia.com/dopt-circular-2013-3020 वेबसाइट पर No. 1/6/2011-IR, Dated 15th April, 2013 में उपलब्ध हैं। मार्गदर्शिका निम्न विषयों पर जारी की गई हैं :–

(i) धारा–4 के अंतर्गत अधिक से अधिक स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का प्रकटन।

(ii) धारा–4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का डिजिटल प्रकाशन।

(iii) धारा–4(1)(बी) (iii), 4(1)(बी) (iv), 4(1)(बी) (xi) तथा (1)(बी) (xiv) के संबंध में विस्तृत उल्लेख करना।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का अनुपालन किया जाना।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया धारा–4 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गई उक्त मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण

सं.–39ms/43–2–2014

प्रेषक,

एस. पी. गोयल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 27 जनवरी, 2014**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के कार्यान्वयन पर भारत सरकार द्वारा दिया गया मार्गदर्शन।

महोदय,

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. 1/6/2011– आई.आर. दिनांक 15 अप्रैल, 2013 में यह अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचनाओं को स्वप्रेरणा से घोषित किया जाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(2) तथा धारा–4(3) सूचनाओं के प्रसारित करने की विधि का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत सूचनाओं को स्वप्रेरणा से घोषित किए जाने का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना तथा जन सामान्य को अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना है ताकि जन सामान्य को इस अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े। उक्त पत्र वेबसाइट persmin.gov.in पर DOPT विषय के अन्तर्गत 'OMs & Orders' Column में RTI विषय के क्रमांक 17 पर उपलब्ध है।

2– उक्त पत्र में यह उल्लेख भी किया गया है कि लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि से जन सामान्य हेतु अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत काफी सूचनाएं स्वप्रेरणा से प्रदान की जा चुकी हैं किन्तु स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता तथा मात्रा वांछित स्तर तक नहीं है। अतः यह अनुभव किया गया है कि अधिनियम की धारा–4 के कमजोर क्रियान्वयन का कारण कुछ प्राविधानों का विस्तृत रूप से उल्लेख न होना है तथा कुछ अन्य प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

3– मई, 2011 में भारत सरकार द्वारा धारा–4(1)(बी) के उचित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में टास्कफोर्स का गठन किया गया तथा टास्कफोर्स की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा धारा–4

के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध मे मार्गदर्शिका तैयार कर जारी की गयी है जो कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के साथ वेबसाइट persmin.gov.in पर DOPT विषय के अन्तर्गत 'OMs & Orders' Column में RTI विषय के क्रमांक 17 पर उपलब्ध है।

4— कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं.—1/6/2011—आई आर दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 (संलग्न) के द्वारा अपने समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से उक्त मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है जो कि मार्गदर्शिका जारी होने की तिथि (दिनांक 15 अप्रैल, 2013) से 6 माह पश्चात उपलब्ध कराई जानी थी तथा पत्र की प्रति समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को भी प्रेषित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा—4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका का अपने समस्त लोक प्राधिकरणों में अनुपालन कराकर आख्या प्रशासनिक सुधार विभाग को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि कृत कार्यवाही से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक—उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
(एस.पी. गोयल)
प्रमुख सचिव।

संख्या—39MS/43—2—2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग।
2— निदेशक (IR), कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।
3— प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4— संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र.।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भवेश रंजन)
अनु सचिव।

No.-39/35/9/MS/GI/2013

No. 1/6/2011-IR
Government of India
Ministry of Personal, PG & Pensions
Department of Personnnel Training

North Block, New Delhi,
Dated the 10th Dec., 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Guidelines of implementation of suo-motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 – Complaince of

Attention is invited to this Department's O.M. of even no. dated 15.4.2013 on the subject mentioned above.

2. In that O.M., it was mentioned that each Ministry/Public Authority shall ensure that the guidelines for suo motu disclosure under RTI act fully operationalised within a period of 6 months from the date of their issuance i.e. 15.04.2013. It was also requested that the Action Taken Report on the compliance of guidelines should be sent, alongwith the URL link, to the DOPT and the Central Information Commission soon after the expiry of the initial period of the 6 months. It has been noticed that most of the Ministries/Departments/Public Authorities have not sent the compliance report/Action Taken Report to this Department and Central Information Commission.

3. It is once again requested that the guidelines mentioned in O.M. dated 15.4.2013 be complied with at the earliest and compliance report sent to this Department and Central Information Commission, immediately.

(Sandeep Jain)
Director (IR)
Tele : 23092755

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt. /Rajya Sabha Sectt. / Cabinet Sectt. / Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Vice President's Sectt./Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All Officers/Desks/Sections,DOP & and Department of Pensioners Welfare.

Copy to : Chief Secretaries of all the States/UTS.

महत्वपूर्ण

संख्या–मु.स. 10 / 43 / –2–2014

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ.प्र.।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ.प्र.।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2014**

विषय : मा. उच्च न्यायालय कोलकाता में दायर रिट याचिका संख्या 33290 / 2013 श्री अविषेक गोयनका बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 20–11–2013 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–11001 के पत्र संख्या–1 / 31 / 2013–आई.आर., दिनांक 08 जनवरी, 2014 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न मा. उच्च न्यायालय कोलकाता के निर्णय दिनांक 20–11–2013 का अवलोकन करें।

2– भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 08–01–2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–11–2013 को परिचालित कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त के प्ररिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय कोलकाता के सन्दर्भित निर्णय दिनांक 20–11–2013 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,
(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या–मु.स. 20(1)/43–2–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव/निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, लोक शिकायत विभाग एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली–110001 को उनके पत्र संख्या–1/31/2013– आई.आर., दिनांक 08 जनवरी, 2014 के क्रम में सूचनार्थ।

2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

3– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

4– संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।

5– सचिव, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।

6– जनसूचना अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1/2 उ.प्र. शासन।

7– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

No.1/31/2013-IR No...../MS/GI/2014

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated the 8th January, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Order dated 20-11-2013 of the High Court of Kolkata in Writ Petition No. 33290 of 2013 in the case of Mr. Avishek Goenka Vs Union of India regarding personal details of RTI applicants-circulation of.

In compliance of the directions of the Hon'ble High Court of Kolkata in its said order, a copy of the judgement (order) is enclosed herewith for appropriate action.

2. This may be brought to the notice of all concerned.

(Sandeep Jain)
Director
Tele- 23092755

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Sectt./Cabinet Sectt./Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Sectt./Prime Minister's Office/Planning Commission/Election Commision
3. Central Information Commission/State Information Commissions
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All Officers/Desks/Sections/Department of Personnel & Training, the Department of Administrative Reforms and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to Chief Secretaries of all the States/UTS.

10 20.11.
ns 2013

X Annexure

W.P. 33290(W) OF 2013

Mr. Avishek Goenka	.....	petitioner (in person).
Mr. Asish Kumar Roy,		
Ms. Gargi Mukherjee	.....	For the respondents.

The petitioner is appearing in person.

The writ petitioner claiming to be an activist in the field of right to information, has approached us by filing the present writ petition with the prayer, the authority should not insist upon the detailed address of the applicant as and when any application is made under the Right to Information Act. He apprehends, the interested parties would cause a threat to the activist and in fact there had been past incidents of unnatural deaths of activist in the field, presumably by the interested persons having vested interest to conceal the information that is asked for by the activist.

The petitioner submits, the authority may not insist upon the detailed address particularly when the applicant would provide a particular post box number that would automatically conceal their identity to the public at large.

We have considered the relevant provisions of the statute. Section 6(2) of the Right to Information Act, 2005 would clearly provide, an applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

Looking to the said provision, we find logic in the submission of the petitioner. When the legislature thought it fit, the applicant need not disclose any personal detail, the authority should not insist upon his detailed whereabouts particularly when post box number is provided for that would establish contact with him and the authority.

In case, the authority would find any difficulty with the post box number, they may insist upon personal details. However, in such case, it would be the solemn duty of the authority to hide such information and particularly from their website so that people at large would not know of the details

We thus dispose of this writ petition by making the observations as above. The Secretary, Ministry of Personnel should circulate the copy of this order to all concerned so that the authority can take appropriate measure to hide information with regard to personal details of the activist to avoid any harassment by the persons having vested interest.

The writ petition is disposed of without any order as to costs.

Urgent certified copy of this order, if applied for, be given to the parties, on priority basis.

(Banerjee, Acting Chief Justice)

(Debangsu Basak J.)

सर्वोच्च प्राथमिकता

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

अर्द्धशा.पत्र सं.–459/43–2–2014
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2014

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं को स्वप्रेरणा से प्रत्येक लोक प्राधिकरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता है। स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं का उद्देश्य जन सामान्य हेतु अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना तथा नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या को कम करना है।

2– इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में कई पत्र भी प्रेषित किये गये हैं तथा बैठकें भी आयोजित की गई। वेबसाइटों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विभागों द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचनाओं को अपलोड किये जाने में विशेष रूचि नहीं दिखाई गई जिसके कारण विभागीय वेबसाइट अपडेट नहीं है तथा अपलोड की गई सूचनायें भी पूर्ण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं का विवरण भी ठीक से नहीं दर्शाया गया है।

3– मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के कार्यान्वयन हेतु पी.आई.एल. दाखिल की गई है जिसमें मा. न्यायालय से धारा–4(1)(बी) के प्राविधानों को कड़ाई से लागू किये जाने का अनुतोष मांगा गया है। सचिवालय स्तर पर स्थित समस्त विभाग भी लोक प्राधिकरण की श्रेणी में आते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को 15 दिवस में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा. न्यायालय के आदेशों का समय से अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,
(जावेद उस्मानी)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (श्री नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या – 459 दिनांक 25 मार्च, 2014 का संलग्नक

विभाग का नाम _____

क्रम संख्या	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरण का नाम	अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या तथा तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5

संख्या–2/2015/445/43–2–2014–15/2(2)/03 टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ; दिनांक : 18 मार्च, 2015**

विषय : शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–977/43–2–2007–15/2(2)/03 टीसी 18, दिनांक 23 अप्रैल, 2007 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 (1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश ज्ञापित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5 (1) में जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु कोई स्तर निर्धारित नहीं है फिर भी शासन स्तर पर प्रत्येक विभागों में अनु सचिव या उप सचिव को सामान्यतया जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है, जबकि समस्त सूचनाएं उसके सीधे नियंत्रण में नहीं रहती है, बल्कि सूचना से सूचना संबंधित दस्तावेज/पत्रावली आदि का नियंत्रण शासन स्तर पर गठित प्रत्येक अनुभागों के अनुभाग अधिकारी में निहित है।

3. यह उल्लेखनीय है कि सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर–164 में अनुभाग अधिकारी को ''अशासकीय पत्र'' निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4. अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों को समय से सूचना उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे अनुभाग जहां अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है, वहां सूचना का अधिकार से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण जैसी भी स्थिति हो, अनु सचिव/उप सचिव द्वारा किया

जायेगा। उक्त से संबंधित शासन स्तर पर औपचारिक विभागीय आदेश शासन के समस्त विभागों द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेगें।

5. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी के रूप में अनुभाग अधिकारी द्वारा आवेदकों का सूचना का उत्तर देने या किसी अन्य विभाग/अनुभाग को सूचना अन्तरण ''अशासकीय पत्र'' के माध्यम से किया जायेगा।

6. सूचना का अधिकार से संबंधित कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। यह कार्य दैनिक सामान्य कार्य के अन्तर्गत होगा।

7. प्रत्येक अनुभागों के प्रभारी अधिकारी जनसूचना से संबंधित प्रकरणों के समन्वय अधिकारी होंगे एवं प्रत्येक माह उनके द्वारा समीक्षा करके जनसूचना से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति अपने उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या–2/2015/445(1)/43–2–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, राज्य सूचना आयोग उ.प्र. इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
5. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी।
6. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

एस. एन. शुक्ल
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या–3 / 2015 / 350 / 43–2–2015–14 / 2(10) / 06 टीसी–2

प्रेषक,

एस.एन. शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ; दिनांक : 19 जून, 2015**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित दण्ड की धनराशि जमा करने एवं वापसी हेतु लेखा शीर्षक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के प्रेषण एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क एवं उसे जमा करने हेतु लेखा शीर्षक का सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 में उल्लेख है।

2. उपर्युक्त नियमावली में राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड को जमा किये जाने तथा दण्ड माफ होने की दशा में दण्ड की धनराशि की वापसी हेतु लेखा शीर्षक का उल्लेख नहीं है।

3. तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड की धनराशि लेखा शीर्षक ''0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें – 60– अन्य सेवायें – 800 – अन्य प्राप्तियां – 15 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थ दण्ड'' के मद में जमा कराये जाने तथा दण्ड माफी की दशा में उपरोक्त सम्बोधित स्तर में से अपने से संबंधित सक्षम स्तर से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के उपरान्त अधिरोपित दण्ड की धनराशि लेखा शीर्षक ''0070 – अन्य प्रशासनिक सेवायें – 60 – अन्य सेवायें – 900 – घटायें वापसियां – 01 – वापसियां'' के मद में वापसी कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के सभी

जनसूचना अधिकारियों को उक्त से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ.बी–2/441/दस/2015 दिनांक 14.05.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एस.एन. शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग
संख्या–4 / 2015 / 539 / 43–2–2015–15 / 2(2) / 03 टीसी
लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2015

शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2 / 2015 / 445(1) / 43–2–2014–15 / 2 (2) / 03 टीसी, दिनांक 18 मार्च, 2015 में एतद्द्वारा निम्नांकित आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

''उक्त के क्रम में यह भी व्यवस्था की जाती है कि विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव विभागीय परिस्थितियों के अनुसार अपने स्तर से जन सूचना अधिकारी नामित कर सकते हैं।''

उक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2015 यथा संशोधित समझा जायेगा एवं शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, राज्य सूचना आयोग उ.प्र. इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
6. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग अधिकारी / जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

डा. नन्द लाल
संयुक्त सचिव।